न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 94/2018

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री रणसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रणसिंह पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्रसिंह
3. महेन्द्रसिंह
4. सुरेश कुमार

   पिसरान रणसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

5. सन्तरो
6. सिलोचना
7. विद्या
8. मीरां

   पुत्रियान रणसिंह जाति ज़ाट निवासीगण गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कालीरावण : **वादी**

वकील श्री संदीप गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 8**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 8 प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्रियां है तथा प्रतिवादी सं0 1 इनका पिता है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा साथ साथ निवास व कारोबार करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान है। प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 की शादीयां अच्छे घरों में हो चुकी है जिनके भात–छुछक आदि के कार्य वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा पूर्ण किये जा चुके है। संयुक्त हिन्दू परिवार की तहसील भादरा के चक नं0 8 जेएसएल के मु0नं0 10 के किला नं0 3/2 की 0.215 है0, किला नं0 4/3 की 0.190 है0 किला नं0 7/2 की 0.228 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 मु0नं0 18 के किला नं0 11, 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 44 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 4.175 है0 तथा तहसील भादरा के चक 6 जेएसएल के मु0नं0 49 के किला नं0 1, 2, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.265 है0 इस प्रकार दोनों चकों की कुल 5.440 है0 नहरी कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला व रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह को अपने पिता श्योलाल से उतराधिकार में मिली है। कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रक सम्पति है। वादी व प्रतिवादी संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के कारण वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 8 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादिया सं0 5 ता 8 ने अपने अपने हक हिस्से का त्याग अपने भाईयों वादी व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में बराबर बराबर कर दिया था। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 संयुक्त रूप से उपरोक्त कुल भूमि में 8/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 9 को तर्क किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 6 व 8 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 6 झांसल सम्वत् 2045 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 8 झांसल सम्वत् 2043 पेश की है उनमें वाद भूमि वादी के दादा श्योलाल वल्द लेखराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में रणसिंह के वारिसान में पत्नि शांतिदेवी, चार पुत्र राजेन्द्र, रामकुमार, महेन्द्रसिंह, सुरेशकुमार व चार पुत्रियां सन्तरो, सिलोचना, विद्या, मीरां होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 8 जेएसएल के मु0नं0 10 के किला नं0 3/2 की 0.215 है0, किला नं0 4/3 की 0.190 है0 किला नं0 7/2 की 0.228 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 मु0नं0 18 के किला नं0 11, 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 44 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 4.175 है0 तथा तहसील भादरा के चक 6 जेएसएल के मु0नं0 49 के किला नं0 1, 2, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.265 है0 इस प्रकार दोनों चकों की कुल 5.440 है0 नहरी कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला व रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का 1/9 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का संयुक्त रूप से 8/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं0 1 का 1/9 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का 8/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 94/2018

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री रणसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रणसिंह पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्रसिंह
3. महेन्द्रसिंह
4. सुरेश कुमार

   पिसरान रणसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

5. सन्तरो
6. सिलोचना
7. विद्या
8. मीरां

   पुत्रियान रणसिंह जाति जाट निवासीगण गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कालीरावण एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 8 जेएसएल के मु0नं0 10 के किला नं0 3/2 की 0.215 है0, किला नं0 4/3 की 0.190 है0 किला नं0 7/2 की 0.228 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 मु0नं0 18 के किला नं0 11, 19 ता 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 44 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 4.175 है0 तथा तहसील भादरा के चक 6 जेएसएल के मु0नं0 49 के किला नं0 1, 2, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.265 है0 इस प्रकार दोनों चकों की कुल 5.440 है0 नहरी कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला व रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का 1/9 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का संयुक्त रूप से 8/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं0 1 का 1/9 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का 8/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़